1	2	3	4
19	Chandigarh	2	—
20	Dadar & Nagar Haveli	7	2
21	Delhi	16	1
22	Daman & Diu	5	4
23	Pondicherry	8	2
24	Goa	6	16
25	Location not specified/units more than one State/Proposals for Indian Exclusive Economic Zone	—	44
	TOTAL	1368	494

Survey of marine fisheries

446, SHRI AJIT P. K, JOGI): Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have made any survey on marine fisheries research in coastal States;

(b) if so, the details thereof and

(e) the detials of the fishing potential expected in the new areas, State-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) While no Statewise survey has been conducted, marine fishery resources covering the coastal areas of all maritime States and Union Territories have been surveyed.

(b) and *(c)* The depthwise distribution of coastal fishery resources indicates that the fishery potential in the inshore sector within 50 M depth as 2.21 million tonnes. The total potential fishery re-sources 'In Indian Bxfclu&ive Economic Zone is 3,9 million tonnes.

भारत में फलों का उत्पादन

447. श्री राम जेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि भारत में फलों का उत्पादन विश्व के सभी फल उत्पादक देशों की तुलना में सबसे अधिक है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या-क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश के फलों के उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग बिना उपयोग के ही नष्ट हो जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकारी अनुमान के अनुसार हुए वर्ष औसत कितने प्रतिशत फल नष्ट होते हैं तथा शेष उत्पादित फलों में से कितना भाग विदेशों को निर्यात किया जाता है एवं कितने प्रतिशत फलों का प्रसंस्करण करके स्वदेश और विदेश में उपयोग होता है तथा शेष कितना प्रतिशत देश में उपयोग किए जाने का अनुमान है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) और (ख) खाद्य तथा कृषि संगठन से प्राप्त नवीनतम स्थिति के अनुसार ब्राजील और चीन के बाद भारत फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

(ग) और (घ) जल्दी खराब होने वाले और इस्तेमाल न किए जाने वाले फलों का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। लेकिन अनुमान है कि फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं की कमी और उत्पाद के जल्दी खराब होने के कारण कुछ फल और सब्जियों में लगभग 25–30 प्रतिशत गुणवत्ता और मूल्य में कमी आती है। घरों में पर्याप्त मात्रा में फलों का इस्तेमाल करने और असंगठित क्षेत्र में उनके परिक्षण आदि के कारण, इस्तेमाल न किये जाने वाली मात्रा 5% से अधिक नहीं है। फल और सब्जियों के लगभग 104 मिलियन टन कुल उत्पादन में से लगभग 4,78,000 टन का निर्यात ताजे रूप में किया जाता है, लगभग 13.9 लाख टन का वाणिज्यिक रूप से प्रसंस्करण किया जाता है और लगभग 98 मिलियन टन का उपयोग देश में ही ताजे रूप में किया जाता है। प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पादों के वाणिज्यिक उत्पादन का लगभग 20% निर्यात किया जाता है और शेष मात्रा की खपत घरेलू स्तर पर की जाती है।

फलों और सब्जियों की स्थापित क्षमता एवं उपयोग

448. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में फलों और सब्जियों के संबंध में स्थापित क्षमता का अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1994 तक देश में फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी ;

(ग) देश में फलों और सब्जियों का कुल औसत वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में प्रसंस्करण के लिए स्थापित औद्योगिक क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु स्थापित क्षमता का कितना प्रतिशत वार्षिक उपयोग होता है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) (क) से (ङ) दिसम्बर, 1994 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार तले और धूप में सुखाए गए उत्पादों को छोड़कर वाणिज्यिक रूप से उत्पादित फलों और सब्जी उत्पादों की कुल अनुमानित स्थापित क्षमता 14.02 लाख मी० टन थी जो लगभग 29 लाख मी० टन फल और सब्जी प्रसंस्करण करने की क्षमता के अनुरूप है। वर्ष 1994 के दौरान इन यूनिटों ने 6.76 लाख मी. टन उत्पादन किया जिसके लिए 13.9 लाख मी टन फल और सब्जी का इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार क्षमता का लगभग 48% उपयोग हुआ। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1992–93 के दौरान देश में फलों का 328.9 लाख टन और सब्जियों का 715.7 लाख टन कुल वार्षिक उत्पादन हुआ।

Food Processing without licence

449. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the details of items allowed for food processing without licence;

(b) which items are yet to be allowed tor processing without licence;

(c) the reasons for not allowing them for processing so far in the liberalised economy; and

(d) by when, the restrictions on them will be removed?